

भारत के जनजातीय समुदायों पर शाशा समति

भारत राज्य के लिये यह सुनिश्चिति करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग देश की आरथिक और सामाजिक समृद्धि में हसिसेदारी करें। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भारतीय आबादी के एक बड़े हसिसे, विशेष रूप से जनजातीय (जनजातीय) समुदायों को, पछिले छह दशकों में कार्यान्वयिति विकास परियोजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिला है बल्कि इस अवधिके दौरान कार्यान्वयिति विकास परियोजनाओं का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

- प्रधानमंत्री कार्यालय ने वर्ष 2013 में प्रो. वर्जिनियस शाशा (Prof. Virginius Xaxa) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समति (HLC) का गठन किया।
- समति को जनजातीय समुदायों की सामाजिक, आरथिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति की जाँच करने और उनमें सुधार के लिये उपयुक्त हस्तक्षेपकारी उपायों की सफिराशि करने का कार्यभार सौंपा गया। समति ने मई 2014 में अपनी रपोर्ट प्रस्तुत की।

परचिय

अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes-ST)

- भारत में जनजातीय आबादी संख्यात्मक रूप से एक अल्पसंख्यक समूह होने के बावजूद समूहों की विशिल विविधिता का प्रतिनिधित्व करती है।
- जबकि जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति और इतिहास है, वे भारतीय समाज के अन्य वंचित वर्गों के साथ अपर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरथिक वंचना और सांस्कृतिक भेदभाव जैसे विषयों में समानताएँ रखते हैं।
- 'जनजाति' का श्रेणीकरण सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम को दर्शाता है, लेकिन 'अनुसूचित जनजाति' के रूप में श्रेणीकरण के राजनीतिक प्रशासनिक निहितारथ भी हैं।
- अनुसूचित जनजातियों की अधिकांश आबादी पूर्खी, मध्य और पश्चिमी पट्टी में संकेंद्रित है, जो नौ राज्यों - ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तक विस्तृत हैं।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लगभग 12 प्रतिशत, दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 5 प्रतिशत और उत्तरी राज्यों में लगभग 3 प्रतिशत जनजातीय आबादी निवास करती है।

राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास

- उन्नीसवीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोहों के प्रणालमस्वरूप जनजातीय क्षेत्रों को सामान्य विधियों के कार्यान्वयन से बाहर रखने की ब्रिटिश नीतिका विकास हुआ।
- वर्ष 1833 के रेग्युलेशन XIII ने गैर-वनियमिति (नॉन-रेग्युलेशन) प्रांतों का नियमान किया, जिन्हें नागरिक (सविलि) एवं आपराधिक न्याय, भू-राजस्व के संग्रह और एवं अन्य विषयों में विशेष नियमों द्वारा शासित किया जाना था। इसने सहिष्ठुमा क्षेत्र में प्रशासन की एक नई प्रणाली की शुरुआत की।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंगरेजों ने वर्ष 1873 में आंतरिक रेखा वनियमन (Inner Line Regulation) को उस बढ़ि के रूप में लागू किया जिसके पार उपनिवेश के लिये प्रचलित सामान्य कानून लागू नहीं होते थे और इस क्षेत्र के बाहर रहने वाले शासितों (Subjects) का यहाँ प्रवेश करना सख्त वर्जित था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार, गवर्नर जनजातीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से या अपने अभिक्रत्ताओं के माध्यम से नीतिनिर्धारित कर सकता था।
- स्वतंत्रता के उपरांत, वर्ष 1950 में संविधान (अनुच्छेद 342) के अंगीकरण के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के रूप में चहिनति व दर्ज समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया।
- जनि क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों संख्यात्मक रूप से प्रभावी हैं, उनके लिये संविधान में पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के रूप में दो अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है।
- संविधान के अंतर्गत 'पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्र' (Fifth Schedule Areas) ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। वर्तमान में 10 राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हमियाल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पाँचवीं अनुसूची के तहत क्षेत्र विद्यमान हैं।
- पाँचवीं अनुसूची के प्रावधानों को 'पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों के प्रावधान' (अनुसूचित क्षेत्रों पर विसितार) अधिनियम, 1996 के रूप में और विधिक व प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण प्रदान किया गया, ताकि लोकतंत्र और आगे बढ़े।
- छठी अनुसूची के क्षेत्र (Sixth Schedule areas) कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जो पूर्ववर्ती असम और अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्रों में भारत सरकार अधिनियम, 1935 से पहले तक बाहर रखे गए थे तथा बाद में अलग राज्य बने।
- इन क्षेत्रों (छठी अनुसूची) को संविधान के भाग XXI के तहत भी विशेष प्रावधान दिए गए हैं।

- क्षेत्र प्रतिबंध (संशोधन) नियम, 1976 ने अनुसूचित जनजातियों की पहचान में क्षेत्र प्रतिबंध की समाप्ति की और सूची को राज्यों के भीतर प्रखंडों और ज़िलों के बजाय पूरे राज्य पर लागू किया।
- ऐसे क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जनजातियों संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक हैं, वे देश के सामान्य प्रशासनकि ढाँचे का हसिसा हैं। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से देश भर में अनुसूचित जनजातियों को कुछ अधिकार प्रदान करेंगे हैं।
- पाँचवीं और छठी अनुसूचियों के दायरे से बाहर जनजातीय स्वायत्त क्षेत्रों के नियमण के लिये संसद और राज्य विधानसभाओं को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिये- लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगले स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, दार्जलिंग गोरखा हलि परिषद।

अनुसूचित जनजातियों और विभिन्न समतियों को प्रभाषित करना

- वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को 'बहरिवेशति' और 'आंशकि रूप से बहरिवेशति' क्षेत्रों में 'पछिड़ी जनजातियों' के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार 'पछिड़ी जनजातियों' के प्रतिविधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया।
- संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को प्रभाषित नहीं करता है और इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहित प्रभाषित का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के अरंभिक वर्षों में किया गया था।
- हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों को प्रभाषित करने के लिये प्रक्रया निर्धारित करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ हसिसों या समूहों से है, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातीय माना जाता है।"
- अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पहला पछिड़ा वर्ग आयोग (काका कालेलकर आयोग, 1953) ने अनुसूचित जनजातियों का इस रूप में प्रभाषित किया है: "वे एक अलग अनन्य अस्तित्व रखते हैं और लोगों की मुख्य धारा में पूरी तरह से आत्मसात् नहीं करेंगे। वे किसी भी धर्म के हो सकते हैं।"
- एलवनि कमेटी (1959) का गठन सभी जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिये बुनियादी प्रशासनकि इकाई 'बहु-उद्देश्यीय विकास खंड' (मल्टी-प्रपज डेवलपमेंट ब्लॉक) के कार्यकरण की जाँच के लिये किया गया था।
- यू.एन. डेवर आयोग का गठन वर्ष 1960 में जनजातीय क्षेत्रों में भूमि अलगाव के मुद्दे सहित जनजातीय समूहों की समग्र स्थिति को संबोधित करने के लिये किया गया था।
- लोकुर समति (1965) का गठन अनुसूचित जनजातियों को प्रभाषित करने के मानदंड पर विचार करने के लिये किया गया था। समति ने उनकी पहचान के लिये पाँच मानदंडों - आदमि लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पछिड़ापन - की सफिरशी की।
- शीलू ओ समति, 1966 ने एलवनि समति की ही तरह जनजातीय विकास और कल्याण के मुद्दे को संबोधित किया।
- 1970 के दशक में गठित कई समतियों की सफिरशी पर सरकार का जनजातीय उप-योजना दृष्टिकोण सामने आया।
- भूरिया समति (1991) की सफिरशी ने पेसा अधिनियम (PESA Act), 1996 के अधिनियमति होने का मार्ग प्रशासन किया।
- भूरिया आयोग (2002-2004) ने पाँचवीं अनुसूची से लेकर जनजातीय भूमि व वन, स्वास्थ्य व शक्ति, पंचायतों के कामकाज और जनजातीय महलियों की स्थिति जैसे कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
- बंदोपाध्याय समति (2006) ने वामपंथी चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शासन पर विचार किया।
- मुंजेकर समति (2005) ने प्रशासन और शासन के मुद्दों का परीक्षण किया।
- जनि मुद्दों पर उपर्युक्त समतियों ने विचार किया, उन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में रखा जा सकता है: विकास और संरक्षण, फरि भी इन दोनों ही विषयों में जनजातीय समुदायों के लिये प्राप्त प्रणाली मशिरति ही रहे हैं।

अध्ययन और विश्लेषण

पाँच महत्त्वपूरण मुद्दों: (1) आजीविका व रोज़गार, (2) शक्ति, (3) स्वास्थ्य, (4) अनैच्छकि विस्थापन और प्रवासन, और (5) विधिक एवं संवैधानिक मामलों का अध्ययन शाशा समतिद्वारा किया गया है।

इन पाँच मुद्दों में से, पहले तीन मुद्दे ऐसे विषयों से संबंधित हैं जो जनजातियों के लिये उत्तर-औपनिवेशिकि राज्य के विकास एजेंडे के मूल में रहे हैं: आजीविका व रोज़गार, शक्ति और स्वास्थ्य।

- भारत के योजनाबद्ध विकास के पहले चरण से ही इन सभी क्षेत्रों में जनजातियों के लिये विशेष रूप से संसाधनों का आवंटन किया गया है और इन मार्चों पर विद्यमान समस्याओं के समाधान के लिये विशेष कार्यक्रम व योजनाएँ भी बनाई गई हैं।
- फरि भी इन क्षेत्रों में जनजातियों की वरतमान स्थिति भारत के विकास मार्ग में एक महत्त्वपूरण अंतराल को प्रकट करती है। इससे सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिये संस्थानों और प्रणालियों की क्षमता पर भी सवाल भी उठता है।
- व्यापक विकासशील विस्थापन: दोषपूर्ण राष्ट्र-नियमण प्रक्रया के एक अंग के रूप में, जनजातीय क्षेत्रों में वृहत् पैमाने पर उद्योग, खनन, सड़क व रेलवे जैसे बुनियादी ढाँचे परियोजनाओं, बांधों व सचिर्लाल जैसी जलीय परियोजनाओं का विकास देखने को मिला है।
 - शहरीकरण की प्रक्रया को नियमित नहीं योगदान किया है।
 - इससे प्रायः आजीविका की हानि, बड़े पैमाने पर विस्थापन और जनजातियों के अनैच्छकि प्रवास की स्थिति बिनी है।
- समतिद्वारा विश्लेषित एक अन्य महत्त्वपूरण मुद्दा विधियों का कार्यकरण रहा है।
 - पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 और अनुसूचित जनजातीय वन नविस्तार (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (FRA), 2006, जनजातीय और वन समुदायों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय के नविवरण के लिये अधिनियमति महत्त्वपूरण पहलू रहे हैं, जिनसे उनकी वैधानिक स्थिति में प्रविश्वतन आया।
 - हालाँकि, कानून में मान्यता प्राप्त प्रविश्वति परिस्थितियों को आत्मसात् करने में नीतियाँ और कार्यान्वयन सुस्त रहे हैं।
 - भविष्य के संशोधन के लिये इन विधियों और उनके उल्लंघनों का परीक्षण किया गया है।

- ० भूमि अधिगिरहण, खाद्य सुरक्षा, नरीध व कारावास, वशीष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) और गैर-अधिसूचित जनजातियों की स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है।

अन्य अवलोकन

- एक विमिर्श में जनजातीय लोगों की गरीबी सहति समग्र स्थिति के लिये उनके सामाजिक और भौगोलिक अलगाव को ज़मिमेदार ठहराया गया है।
- एकीकरण और विकास: राष्ट्रवादी नेतृत्व ने इन दोनों आयामों (सामाजिक और भौगोलिक अलगाव) को चहिनति किया और उन्हें संबोधित किया। भारतीय संवधान में अनुसूचित जनजातियों के लिये नहिति प्रावधान इस दोहरे दृष्टिकोण का प्रमाण है।
 - ० संवधान में उनके विकास के साथ-साथ उनके हतियों की सुरक्षा और संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि, राज्य वास्तव में जनजातियों के एकीकरण के बजाय उनके सम्मलिन की नीतिपर आगे बढ़ रहे हैं, जो दावे (विकास के साथ-साथ उनके हतियों की सुरक्षा और संरक्षण) के विपरीत है।
- एकीकरण की नीति उनकी अलग पहचान के लिये सुरक्षा और संरक्षण का अवसर प्रदान करेगी, जो संवधान में नहिति भावना के अनुरूप है।
- जनजातियों के अपराधपत संसाधन आवंटन के तरक को भी उठाया गया है।
- जनजातियों के अंदर सामाजिक विकास में कमी के लिये कार्यक्रमों के कमजोर कार्यान्वयन को एक अन्य कारण के रूप में पेश किया गया है।
- जनजातियों आबादी के कमतर विकास के संबंध में एक और तरक जनजातीय जीवन के पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं पर आधारित है।
- इस प्रकार जनजातीय संस्कृति के अनुरूप विकास को पुनः उन्मुख करने और जनजातीय विकास के लिये अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

अपराधपत संसाधन आवंटन, अपरभावी कार्यान्वयन या जनजातीय परंपराओं की चतियों से परे, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के वृहत् प्रश्न से संलग्न होना अधिक आवश्यक समझा गया।

- झारखंड और ओडिशा राज्यों के पास बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन तो हैं, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय लोगों का प्रताशित भी यही सबसे अधिक है।
- वर्ष 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय लोगों का अनुपात झारखंड में 54.2 प्रतशित और ओडिशा में 75.6 प्रतशित था।
- इन राज्यों में बड़े पैमाने पर खनन, औद्योगिक और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से जनजातीय अलगाव पर काबू पाने की प्रक्रिया ने उनकी दुर्बलता और भेद्यता और बढ़ी दी है।
- आदिवासियों पर थोपे गए विकास के मॉडल पर भी सवाल उठाया गया है। आरथकि उदारीकरण और जनजातीय क्षेत्रों में नजी नगिमों के प्रवेश के साथ इस विकास के एजेंडे के व्यापक प्रोत्साहन का जनजातीय समुदायों द्वारा प्रबल प्रतिरोध किया गया है।
- जनजातियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले नियम-कानूनों के साथ लगातार हेर-फेर किया जा रहा है और कॉर्पोरेट हतियों को समायोजित करने के लिये इन्हें विकृत किया जा रहा है।
- आदिवासियों के प्रतिरोध का उत्तर राज्य के अधिसैनिक बलों और संलग्न नगिमों के नजी सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा हसिंह से दिया जा रहा है।

इन नरिशाजनक स्थितियों ने जनजातीय क्षेत्रों में वामपंथी अतिवाद (Left-Wing Extremism) के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया है।

वामपंथी अतिवाद (LWE)

- वामपंथी अतिवाद से गंभीर रूप से प्रभावित नौ राज्यों में से छह राज्य ऐसे हैं, जहाँ अनुसूचित ज़लि स्थिति है।
- 83 वामपंथी अतिवाद प्रभावित ज़लियों में से 42 ज़लियों में अनुसूचित क्षेत्र मौजूद हैं।
- इन क्षेत्रों को नमिनलखित विशेषताओं द्वारा चहिनति किया गया है:
 - ० गंभीर उपेक्षा व अभाव, व्यापक गरीबी और खराब स्वास्थ्य व शैक्षणिक स्थिति
 - ० एक और व्यापारियों और साफ्कारों द्वारा शोषण और उत्पीड़न तो दूसरी ओर एक प्रभावी और संवेदनशील नागरिक प्रशासन की अनुपस्थिति
 - ० विकास परियोजनाओं के लिये जनजातीय लोगों का बड़े पैमाने पर वसिथापन।
 - ० जनजातीय लोगों के लिये विशेष संवेधानकि और कानूनी प्रावधानों (पाँचवीं अनुसूची, जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर रोक और हस्तांतरति भूमि की पुनरबहाली के लिये विभिन्न कानूनों और हाल के वर्षों में PESA, 1996 और FRA, 2006 जैसे कानून) के बावजूद उपरोक्त सभी परविद्यश बने हुए हैं।
- 3 परियोजनाएँ, जिनके माध्यम से क्षेत्र के वामपंथी अतिवाद को देखा जाता है:
 - ० पहला दृष्टिकोण इसे मुख्य रूप से एक राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या के रूप में देखता है, जसे सैन्य कार्रवाई से संबोधित किया जाना चाहयि। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप जनजातीय समुदायों का अलगाव और बढ़ेगा, राज्य और लोगों के बीच भरोसे की कमी और बढ़ेगी तथा माओवादी मज़बूत होंगे।
 - ० दूसरा दृष्टिकोण माओवादी गढ़ों और जनजातीय क्षेत्रों के बीच अतिविधानिकों नरिशाजनक विकास प्रक्रियाओं के कोण से देखता और इसके एकमात्र समाधान के रूप में और अधिक विकास को देखता है।
 - ० तीसरा दृष्टिकोण उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन है, जो बेहतर सारवजनकि बुनियादी ढाँचे की स्थापना पर ध्यान देने के साथ ही क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये एक सैन्य कार्रवाई को आवश्यक मानता है।
- हालाँकि, एक चौथा दृष्टिकोण भी होना चाहयि, जो इस स्पष्ट स्वीकारकत्वपर आधारित हो कि जनजातीय संसाधनों पर कब्ज़े के लिये सरकार और नगिमों, दोनों के द्वारा कानून के साथ छेड़छाड़ की गई और इस स्थिति में सुधार की आवश्यकता है।
 - ० यह दृष्टिकोण स्वीकार करता है कि राज्य की विफलताओं और भरोसे की कमी ने इन क्षेत्रों में माओवादीयों के प्रवेश को अवसर दिया और लोगों, विशेषकर दलितों और आदिवासियों के बीच कुछ समर्थन हासिल करने में उनकी मदद की है।
 - ० इस प्रकार कोई भी समाधान पछिली गलतियों के नविरण और न्याय की गारंटी के माध्यम से विश्वास-बहाली उपायों के साथ ही शुरू किया

समतिने वभिन्न सामाजिक-आरथकि मापदंडों के आधार पर वषियगत खंड तैयार कयिः

1. भौगोलिक और जनसंख्यकीय ढाँचा

- 2011 की जनगणना: अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10,42,81,034 है, जो भारत की जनसंख्या का 8.6 प्रतशित है।
- प्रारूप राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 भारत में 698 अनुसूचित जनजातियों को दर्ज करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत समूहों की संख्या 705 है।
- जनजातियों के पाँच व्यापक क्षेत्रीय समूहः हमिलयी क्षेत्र [(a) उत्तर-पूर्वी हमिलयी क्षेत्र, (b) मध्य हमिलयी क्षेत्र और (c) उत्तर-पश्चिमी हमिलयी क्षेत्र], मध्य क्षेत्र (बहिर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़; जहाँ भारत के 55 प्रतशित से अधिक जनजातीय लोग रहते हैं), पश्चिमी क्षेत्र (राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली), दक्षिणी क्षेत्र (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल), दीपीय क्षेत्र (बंगाल की खाड़ी में अंडमान और नकोबार तथा अरब सागर में लक्षद्वीप)।
- पूर्वोत्तर को प्रायः एक वलिक्षण और समांगी इकाई के रूप में देखा जाता है, जहाँ 200 से अधिक जनजातियों और उप-जनजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा, संस्कृती और राजनीतिक संरचनाएँ हैं।
 - पूर्वोत्तर भारत देश के अन्य हस्तियों की जनजातियों से, वशीष रूप से औपनिवेशिक और भारतीय राज्य के साथ उनके ऐतिहासिक संबंधों के संदर्भ में भन्नि है।
- दीपीयों को केंद्र सरकार के अंतर्गत केंद्रशास्ति प्रदेश के रूप में प्रशास्ति कयिए जाता है और ये ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटीनलीज जैसे कुछ सबसे छोटे जनजाति समूहों के नविस क्षेत्र हैं।
- भाषा:
 - इंडो-यूरोपीय: जनजातीय आबादी के मात्र एक प्रतशित से कुछ अधिक लोग इस परविर की भाषा बोलते हैं जिनमें भील और हलबी दो प्रमुख समूह हैं।
 - दरवड़ि परविर की भाषाएँ गोंड, खोंड, कोया, उरांव, टोडा आदि जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं।
 - तबिबती-बर्मी भाषाएँ हमिलय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं।
 - ऑस्ट्रो-एशियाई परविर की भाषाएँ केवल संथाल, मुंडा और हो जैसे कुछ जनजातीय समूहों द्वारा बोली जाती हैं।
- अनुसूचित जनजाति समुदाय देश के लगभग 15 प्रतशित क्षेत्र पर नविस करते हैं।
- सामान्य आबादी के 53 प्रतशित की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के 80 प्रतशित से अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- अनुसूचित जनजातियों का लगिनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 991 महिलाओं और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 980 महिलाओं का है, औसत 990 है।
- राज्यों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण के संबंध में, मध्य प्रदेश 14.7 प्रतशित के साथ पहले स्थान पर है, जिसके बाद महाराष्ट्र (10.1 प्रतशित), ओडिशा (9.2 प्रतशित), राजस्थान (8.9 प्रतशित), गुजरात (8.6 प्रतशित), झारखंड (8.3 प्रतशित), छत्तीसगढ़ (7.5 प्रतशित), आंध्र प्रदेश (5.7 प्रतशित), पश्चिम बंगाल (5.1 प्रतशित), कर्नाटक (4.1 प्रतशित), असम (3.7 प्रतशित), मेघालय (2.5 प्रतशित) आते हैं। शेष अन्य राज्य 11.6 प्रतशित जनजातीय आबादी का प्रतनिधित्व करते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का अनुपात 11.3 प्रतशित और शहरी क्षेत्रों में 2.8 प्रतशित है।
- वशीष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs)
 - PVTGs (पूर्व में आदिम जनजातीय समूह/PTG के रूप में वर्णिकृत) भारत सरकार द्वारा कयिए जाने वाला वर्गीकरण है जो वशीष रूप से नमिन विकास सूचकांकों वाले कुछ समुदायों की स्थितियों में सुधार को सक्षम करने के उद्देश्य से सुजति कयिए गया है।
 - इसका सूजन ढबर आयोग की रपोर्ट (1960) के आधार पर कयिए गया था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जनजातियों के विकास दर में असमानता थी।
 - ऐसे समूह की प्रमुख वशीषताओं में एक आदिम-कृषि प्रणाली का प्रचलन, शक्ति और खाद्य संग्रहण का अभ्यास, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, अन्य जनजातीय समूहों की तुलना में साक्षरता का अत्यंत नमिन स्तर आदिशामिल है।
 - 1000 से कम व्यक्तियों की आबादी वाले PVTGs हैं: बरिजिया (बहिर), सेंटीनलीज, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, बरिहोर (मध्य प्रदेश), असूर (बहिर), मनकीडिया (ओडिशा), जरावा, चोलानैक्कन (केरल), शोम्पेन, सावर (बहिर), राजी (उत्तराखण्ड), सौरथि पहाड़िया (बहिर), बरिहोर (ओडिशा), कोरवा (बहिर), टोडा (तमिलनाडु), कोटा (तमिलनाडु), राजी (उत्तर प्रदेश)।
- भारत का वन सर्वेक्षण, 2011: देश में कुल वन क्षेत्र 692, 027 वर्ग कलोमीटर है। यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05 प्रतशित है।
 - एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (ITDP) लगभग 411, 881 वर्ग कलोमीटर में फैला हुआ है। इस प्रकार देश का लगभग 60 प्रतशित वन क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
 - हालाँकि इन वनों का अधिकांश भाग आरक्षति वनों और संरक्षित वनों के साथ-साथ वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में वर्गीकृत कयिए गया था, जिसके परणिमस्वरूप जनजातीय समुदाय अधिकारवहीन हो गए और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के पारति होने से पहले तक इस भूमिपर उनके प्रवेश का अतिक्रमण माना जाता था।
- खनजि संसाधनों के संबंध में, प्रयाप्त जनजातीय आबादी वाले तीन राज्यों- ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में उल्लेखनीय खनजि भंडार (कोयला-70 प्रतशित, लौह अयस्क- 80 प्रतशित, बॉक्साइट- 60 प्रतशित, क्रोमाइट्स- 100 प्रतशित) मौजूद हैं।
 - वजिज्ञान एवं प्रयावरण केंद्र (CSE) के अनुसार, शीर्ष खनजि उत्पादक जलियों में लगभग आधे जनजातीय जलिये हैं।
- बांध: बांध नरिमाण से वसिथापति होने वाले लोगों में से लगभग 40 प्रतशित अनुसूचित जनजातियों के हैं। अनुसूचित जनजाति देश की आबादी के लगभग आठ प्रतशित का गठन करती है और स्पष्ट है कि विसिथापति व्यक्तियों की संख्या के मामले में उनका सही प्रतनिधित्व नहीं कयिए गया।
- जनजातीय आबादी को प्रभावति करने वाले संघर्ष:
 - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और भारतीय राज्य के बीच सशस्त्र संघर्ष, जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बहिर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों के कुछ हस्तियों में जारी है।

- हाल के वर्षों में, वशीष रूप से मध्य भारत में, इस प्रकार के संघर्ष में वृद्धि ही हुई है, जब देश ने छत्तीसगढ़ में सलवा जुड़म नाम से ज्ञात उग्रवाद-वरिधी अभियान की शुरुआत की, जो माओवादियों से संघर्ष के नाम पर बलात्कार, हत्या, आगजनी, लूटपाट और भयादोहन के लिये ज़मिमेदार है।
- **पूर्वोत्तर:** पूर्वोत्तर में राज्य और जनजातीय समूहों के बीच, वभिन्न जनजातियों के बीच और जनजातियों व गैर-जनजातीय समूहों के बीच संघर्ष चल रहे हैं, जहाँ राज्य इन सभी संघर्षों में शामिल हैं।
- सशस्त्र बल (वशीष अधिकार) अधनियम, 1958 मणपुर, असम और नागालैंड के साथ-साथ त्रपुरा और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हस्सों में प्रभावी है।
- इन राज्यों में सशस्त्र बलों द्वारा अतिरिक्त-न्यायकि हत्याओं, बलात्कार और उत्पीड़न के कई मामले सामने आए हैं।

2. जनजाति कानूनी और प्रशासनिक ढाँचा

अनुसूचित क्षेत्र

- अनुसूचित क्षेत्र (संविधान की पाँचवीं अनुसूची के तहत) से “ऐसे क्षेत्र अभिप्रेत हैं जनिहें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें।”
- वर्तमान में 10 राज्यों - आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हमियाल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में ‘पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र’ (Fifth Schedule Areas) घोषित हैं।

पाँचवीं अनुसूची

- पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है।
- पाँचवीं अनुसूची के भाग ख में अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में एक जनजाति सलाहकार परिषद (टीएसी) के गठन का प्रावधान है। टीएसी का कर्तव्य अनुसूचित जनजातियों के ‘कल्याण और उन्नति’ से संबंधित मामलों पर सलाह देना है, “जैसा करियपाल द्वारा उन्हें संदर्भित किया जा सकता है”।
- जनजाति सलाहकार परिषद की कमियाँ:
 - TAC केवल उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और सफिराशि दे सकते हैं, जनिहें राज्यपाल द्वारा संदर्भित किया जाता है।
 - यह केवल सलाहकारी क्षमता के रूप में कार्य करता है और इसके पास कार्यान्वयन की कोई शक्ति नहीं है।
 - परिषद जनजातीय आबादी के लिये जवाबदेह नहीं है, क्योंकि वे राज्यपाल या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करि जाते हैं।
- पाँचवीं अनुसूची ने जनजातीय क्षेत्रों को कहीं अधिक स्वायत्तता प्रदान की, लेकिन जनजाति सलाहकार परिषद स्वायत्तता नियन्त्रित लेने वाली एक संस्था के बजाय मात्र एक सलाहकारी नियमित बना रहा है।
- छठी अनुसूची के विपरीत, जहाँ स्वायत्तता ज़लिया परिषदों को कई महत्त्वपूर्ण विषयों में उल्लेखनीय विधियाँ, न्यायकि और कार्यकारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, पाँचवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के शासन को (सुख्यतः राज्यपाल) के पास संकेंद्रित रखती है।
- TAC कार्यपरणाली के संबंध में नियमों का नियमान राज्यपाल के बजाय राज्य सरकारों द्वारा किया गया है, जिसके कारण सततारूढ़ राजनीतिक दलों द्वारा इन नियमों का पूरणपूर्ण अधिकार हड्डपने का प्रयास किया जा रहा है।
- राज्यपाल की रपिरेट वसिथापन एवं पुनर्वास, वधि-व्यवस्था की समस्या, जनजातीय वरिधि प्रदर्शनों, जनजातियों के उत्पीड़न और ऐसे अन्य मुद्दों को दायरे में नहीं लेती है। ये रपिरेट अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकारों की नीतियों के स्वतंत्र मूल्यांकन का अवसर नहीं प्रदान करती।
- बड़ी संख्या में ऐसे राज्य मौजूद हैं, जहाँ जनजातियों प्रखंड या गाँवों में एक बड़ी आबादी वाले प्रखंड या गाँवों का नियमान करती हैं। उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा आदि इन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के दायरे से बाहर रखा गया है।

भारतीय संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची के बीच अंतर

- पाँचवीं अनुसूची भारत के वृहत हस्से में अनुसूचित क्षेत्रों को नियंत्रित करती है, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के हतियों का संरक्षण किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतशित से अधिक जनजातीय आबादी मौजूद होती है।
- छठी अनुसूची उत्तर-पूर्वी राज्यों- असम, मेघालय, त्रपुरा और मजिओरम के प्रशासन से संबंधित है।

छठी अनुसूची

- पूर्वोत्तर भारत, अनेक विधि जातीय समूहों का नविस स्थान है और रणनीतिक रूप से भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थिति है।
- खासी और मजिओ समुदाय ने प्रथागत कानूनों, संसाधनों पर नियंत्रण और ऐसे ही अन्य कई मुद्दों पर स्वशासन का आह्वान किया, जबकि असम के बड़े राज्य से अलग होने की मांग भी की।
- यथास्थितिबनाए रखने और अलगाव के ब्रटिश दर्शन को संविधान की छठी अनुसूची के माध्यम से पूर्वोत्तर के विकास और एकीकरण की नीतियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
- छठी अनुसूची स्वायत्तता ज़लिया और क्षेत्रीय परिषदों के नियमान का प्रावधान करती है और इन स्वायत्तता नियमों को वभिन्न विधियाँ, कार्यकारी और न्यायकि शक्तियाँ प्रदान करती है।
- छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रपुरा और मजिओरम राज्यों के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
- छठी अनुसूची के अलावा, पूर्वोत्तर राज्यों पर अनुच्छेद 371A (नागालैंड), अनुच्छेद 371C (मणपुर), अनुच्छेद 371G (मजिओरम) जैसे अन्य

संवैधानिक प्रावधान भी लागू हैं।

- दो प्रकार के स्वायत्त ज़िला परिषद हैं: (1) छठी अनुसूची के तहत स्थापति, (2) राज्य विधिन सभा के विभिन्न अधिनियमों द्वारा स्थापति।

स्वायत्त ज़िला परिषद:-

- असम:** छठी अनुसूची के तहत स्थापति दीमा हसाओ, कारबी आंगलोंग, बोडोलैंड।
- शिलांग क्षेत्र को छोड़कर मेघालय का संपूर्ण राज्य छठी अनुसूची के प्रावधानों के दायरे में आता है। प्रमुख क्षेत्र - खासी, गारो और जयंतया पहाड़ी क्षेत्र।
- मज़िरम:** चकमा, मारा, लाई।
- त्रिपुरा:** जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद
 - राज्य अधिनियमों द्वारा स्थापति - असम (6), मणपुर (6)
 - उत्तर-पूर्वी भारत के बाहर - लेह स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगलि स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद।

राज्य	विधियी और प्रशासनिक संरचना
असम प्रदेश	अनुच्छेद 371H. कोई स्वायत्त परिषद, पंचायती राज संस्थाएँ मौजूद नहीं।
असम	छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371B. तीन स्वायत्त परिषद विद्यमान।
मणपुर	अनुच्छेद 371C, मणपुर पहाड़ी गराम प्राधिकार अधिनियम और मणपुर पहाड़ी क्षेत्र ज़िला परिषद।
मज़िरम	छठी अनुसूची, अनुच्छेद 371G. तीन स्वायत्त परिषद विद्यमान।

छठी अनुसूची के तहत स्थापति स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) का आकलन

- राज्य सरकारों ने यह दृष्टिकोण रखा है कि इन परिषदों को अपनी पारंपरिक भूमिका तक ही सीमित रहना चाहिये, जो कि जनजातीय संस्कृति, भूमि और पहचान की रक्षा करना है और इन्हें विकासात्मक गतिविधियों में संलग्न होने से बचना चाहिये।
- कई मामलों में राज्य सरकारों ने जानबूझकर परिषदों के कामकाज को बाधित किया है, विशेष रूप से उनके लिये वित्त के प्रवाह को अवरुद्ध करके ऐसा किया गया है।
- कानून बनाने और विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिये परिषदों को दी गई शक्तियों की वित्तीय स्वायत्तता के साथ संगतता नहीं है।
- छठी अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार परिषदों के नियंत्रण में आने वाली सभी गतिविधियों और विभिन्नों को अभी तक उनके पास स्थानांतरित नहीं किया गया है और न ही ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDA) जैसी समानांतर संस्थाएँ मौजूद हैं।
- विधिन के बाद ADC के पुनर्गठन के लिये कोई अनविवार्य समय सीमा निर्धारित नहीं है और इसलिये उनका चुनाव अनशीघ्रति काल के लिये स्थगित होता रहता है।
- संविधान में 73वें संशोधन द्वारा महलियों के लिये सभी स्तरों पर कुल पंचायती सीटों के एक तहिई पर आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन पंचायतों के विपरीत परिषदों में ऐसे आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ADC की प्रतनिधिक संरचना में आ रहे जनसांख्यिकीय परविरतन परिवर्तन की वित्तीय स्वायत्तता नहीं हो रहे। यदिस्थितिकी व्यापक समीक्षा नहीं की गई तो भविष्य में छठी अनुसूची क्षेत्र में संघरणों के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर सकती है।
- स्वायत्त परिषदों को राज्य वित्त आयोग के दायरे में लिया जाना चाहिये, जो कि समय-समय पर वित्तीय स्थितिकी समीक्षा करने और राज्य और स्वायत्त परिषद के बीच संसाधन वितरण के उचित सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिये सशक्त हो। वित्तपोषण को राज्य सरकारों के मनमाने विकास पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

वमिक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ

- वर्ष 1871 का आपाराधिक जनजातीय अधिनियम (CTA): लगभग 200 समुदायों को 'वंशानुगत अपराधी' मान लिया गया था और वे नगिरानी, कारावास और घोर भेदभाव के शक्तिरथे। ऐसा तत्कालीन प्रचलित धारणा के आधार पर किया गया था कि अपराध एक आनुवांशिक लक्षण है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरत होता है।
- सीटीए को अखलि भारतीय आपाराधिक जनजातीय जांच समिति (1949) की सफिराशि पर वर्ष 1952 में कानून की कतिबों से हटा दिया गया और इसके उपरांत आपाराधिक जनजातीय विमुक्त, (डी-नोटफिल्ड) जनजातियों के रूप में जाने जाने लगे।
- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय विभिन्न पेशों का अभ्यास करते हैं, जिनमें चरवाही और छोटे जीवों का शक्तिरथ व खाद्य-संग्रहण प्रमुख है। वे नरतक, कलाबाज, सपेरे, मदारी आदि के रूप में मनोरंजन के पेशे से भी जुड़े हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups- PVTGs)

- कुछ जनजातियों को जनजातीय समूहों के बीच उनकी अधिकि 'भेदयता' के आधार पर विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) (वे पहले आदमि जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत थे) के रूप में चिह्नित किया गया है।
- PVTGs में वर्तमान में 75 जनजातीय समूहों को शामिल किया गया है, जिनकी पहचान निम्न मानदंडों के आधार पर की गई है: वन-नरिभर आजीवका, अस्ततिव का पूरव-कृषि-स्तर, स्थिति या घटती जनसंख्या।
- 2001 की जनगणना के अनुसार, इन 75 PVTGs की कुल आबादी 27,68,322 थी।

- सबसे अधिक संवेदनशील समूहों के रूप में अंडमान द्वीप समूह के शोमपेन, सेंटीनलीज और जारवा, ओडिशा के बॉडो, केरल के चोलानैक्कन, छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़िया और झारखण्ड के बरिहोर को चहिनति किया गया है।
- पीवीटीजी की सूची में शामिल सभी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा नहीं दिया गया है।
- केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे पीवीटीजी राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र नहीं हैं, जिससे इन जनजातियों की भेद्यता बढ़ रही है, क्योंकि इन्हें पाँचवीं अनुसूची और पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर वसितार) अधिनियम, 1996 द्वारा प्रदत्त सुरक्षा और अधिकार प्राप्त नहीं हैं।
- पीवीजीटी के लिये प्रयावास अधिकार, जो वन अधिकार अधिनियम द्वारा गारंटीकृत है, प्रदान करिए जाने चाहयि और प्रभाषितमक अस्पष्टता को दूर किया जाना चाहयि।

3. आजीवकिं और रोज़गार की स्थिति

- परंपरागत रूप से भारत में जनजातियों ने एक ऐसी अरथव्यवस्था का अनुपालन किया, जो प्रकृति के निकट थी और स्वदेशी तकनीक का उपयोग करती थी। यह वर्णों और उनके प्राकृतिक आवास में उपलब्ध अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर उनकी निरभरता में परलिक्षण होता है।
- पारंपरिक जनजातीय अरथव्यवस्था में, जनजातीय समूहों की विशिष्टता (क) वन-आधारत आजीवकिं, (ख) पूर्व-कृषि सितरीय प्रौद्योगिकी, (ग) एक स्थानीय घटती जनसंख्या (घ) अत्यंत कम साक्षरता और (छ) अरथव्यवस्था के महज निरिवाह स्तर में चहिनति की जाती है।
- पूर्व-स्वतंत्रता काल में झारखण्ड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जनजातियों, जैसे-मुंडा, उराँव, संथाल एवं अन्य ने करारबद्ध मजदूरों के रूप में असम के विशाल चाय बागानों की ओर भी पलायन किया था किंतु, स्वतंत्रता के बाद उन्हें असम में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।
- **भारत का मानव विज्ञान सर्वेक्षण:**
 - शक्तिर और खाद्य-संग्रहण का अभ्यास करने वाले समुदायों की संख्या में 24.08 प्रतशित की गणित आई है, क्योंकि जंगल गायब हो गए हैं और वन्यजीव कम हो गए हैं।
 - सरकारी और नजीि सेवाओं, स्वरोज़गार आदि में नियोजित अनुसूचित जनजातियों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है।
- **भूमि स्वामतिव:** पराविरकि स्वामतिव धारिता (एचओएच) पर एनएसएसओ द्वारा आयोजित सर्वेक्षण के 59वें दौर के अनुसार, भारत में प्रतपिरविर 0.563 हेक्टेयर का औसत भूमि स्वामतिव है; अनुसूचित जनजातियों के लिये यह औसत 0.708 है।
- 44.9 प्रतशित अनुसूचित जनजातिपरवारों के पास बैंक खाते हैं, जो बैंकगि सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, जबकि देश के सभी परवारों के लिये यह प्रतशित 58.7 है।
- **श्रम बल भागीदारी:**
 - श्रमकि जनसंख्या अनुपात (WPRs - श्रमकि जनसंख्या अनुपात प्रतिहजार व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में परभाषित किया गया है।)
 - NSSO (2012) के अनुसार, वर्ष 2004-05 और 2009-10 में, ग्रामीण पुरुष अनुसूचित जनजातिका श्रमकि जनसंख्या अनुपात क्रमशः 56.2 प्रतशित और 55.9 प्रतशित था, जबकि सभी समूहों के लिये यह अनुपात क्रमशः 54.6 प्रतशित और 54.7 प्रतशित था।
 - श्रम बल भागीदारी दर (LFPR- इसे प्रति 1000 व्यक्तियों पर श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या के रूप में परभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्तिजो काम कर रहा है या काम करने के लिये उपलब्ध है, उसे 'श्रम बल' का हसिसा माना जाएगा।)
 - श्रम और रोज़गार मंत्रालय के श्रम बृद्धों के तीसरे वार्षिक रोज़गार और बेरोज़गारी सर्वेक्षण (2012-13) के अनुसार, अखलि भारतीय स्तर पर अनुसूचित जनजातियों की श्रम बल भागीदारी दर 56.7 प्रतशित के साथ उच्चतम है और यह समग्र शरणी में 50.9 प्रतशित के साथ नमिन्तम है।
 - महलियों की श्रम बल भागीदारी दर अखलि भारतीय औसत 22.6 प्रतशित की तुलना में 33.6 प्रतशित के साथ अनुसूचित जनजातियों में सरवाधिक है।
- **बेरोज़गारी दर:**
 - बेरोज़गारी दर (श्रम बल में प्रति 1000 व्यक्तियों में बेरोज़गारों की संख्या) और आनुपातकि बेरोज़गारी दर (कुल जनसंख्या में प्रति 1000 व्यक्तियों में बेरोज़गारों की संख्या)।
 - NSSO (2012) के अनुसार, वर्ष 2009-10 में पुरुषों की बेरोज़गारी दर और आनुपातकि बेरोज़गारी दर क्रमशः 17 और 10 थी, जबकि महलियों के लिये यह क्रमशः 9 और 3 थी।
- **आय:** भारत मानव विकास सर्वेक्षण (IHDS), 2004-05 के अनुसार, अनुसूचित जनजातिपरवारों की वार्षिक आय सामान्य जनसंख्या (72,717 रुपए) की तुलना में सबसे कम थी (32,345 रुपए)।
- **गरीबी:** अनुसूचित जनजातियों के लिये पनागरण एवं अन्य ने गरीबी की दर के अनुमान का अभिलन प्रतशित के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और संयुक्त (ग्रामीण और शहरी) क्षेत्रों में तेंदुलकर गरीबी रेखा से नीचे रेखा। वर्ष 2011-12 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का 45.3 प्रतशित अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है।

अनुशंसाएँ

- जनजातीय क्षेत्रों में कृषि आधारत प्रशिक्षण संस्थानों और संबंधित श्रम-गहन प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है।
- जनजातीय कसिनों के पास उपलब्ध भूमि के सारथक उपयोग के लिये, उन्हें जैवकि खेती और पर्यावरण-वानकी के लिये प्रेरणा किया जाना चाहयि।
- लोक-केंद्रति भागीदारी के साथ सूक्ष्म जलग्रहण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन निर्धनता में कमी लाने का सफल तरीका हो सकता है।
- कानून के सख्त प्रवरत्तन से जनजातीय भूमि के प्रत्येक परकार के हस्तांतरण पर रोक और पेसा कानून एवं वभिन्न राज्यों के अन्य संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप ऐसी भूमियों के स्वामतिव की पुनर्बहाली की जानी चाहयि।
- FRA, 2006 के तहत नई अधिग्रहति भूमि का उपयोग खाद्यान्न की खेती के बजाय इको-फॉरेस्ट्री में किया जा सकता है, जो अनुसूचित जातिके कसिनों को अधिक लाभ दे सकता है।
- केंद्र सरकार की सेवाओं में अधिकारी रक्षितियों लंबति हैं और अनुसूचित जनजातिको प्रयाप्त प्रतनिधित्व प्राप्त नहीं है।

- इसलिये सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिये नौकरियों के संबंध में एक पारदर्शी नीति का पालन करना चाहयि।
- जनजातियों को अपने वन पारस्थितिकी तंत्र और वन-आधारति आजीविका को पुनर्जीविति करके अपनी आवश्यकताओं की पूरति के लिये अपने पारंपरकि ज्ञान का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहिति करिया जाना चाहयि।

4. शक्षिष्ठि

- ब्रटिश औपनिवेशिकि शक्षिष्ठि नीति, जिसने जनजातीय आबादी की शक्षिष्ठि पर प्रयाप्त ध्यान नहीं दिया, के कारण वर्ष 1951 में आदविस्तियों की साक्षरता दर केवल 3.46 प्रतिशत थी।
- भेदभाव के एक स्थल के रूप में शक्षिष्ठि: जनजातीय बच्चों के लिये शक्षिष्ठि-पाठन हमेशा अनुकूल नहीं होता है। शैक्षणिकि वातावरण जनजातीय बच्चों के विद्युद्ध पारंपरकि सामाजिकि पूरवाग्रह से मुक्त नहीं है।
- 'निशुल्क' शक्षिष्ठि की कमी: जनजातीय बच्चों को निशुल्क शक्षिष्ठि देने में सरकार की वफिलता नजी स्कूलों के लिये शोषणकारी अवसर प्रदान करती है। नजी शक्षिष्ठि संस्थान वाणिज्यिकि हातों से निरिदेशति होते हैं।
- निशुल्क और अनविवार्य बाल शक्षिष्ठि का अधिकार अधिनियम, 2009:
 - यह अधिनियम कसी कारणवश प्रारंभकि शक्षिष्ठि छोड़ देने वाले बच्चों को उनके आयु अनुरूप उपयुक्त कक्षा में पुनरप्रवेश देने का प्रावधान करता है और साथ ही उनके विशेष प्रशक्षिष्ठि या अतरिक्षित शक्षिष्ठि का भी प्रावधान करिया गया है, ताकि वह अन्य बच्चों के समकक्ष लाया जा सके।
 - इसका कार्यान्वयन सामान्य रूप से और जनजातीय बच्चे के संदर्भ में विशेष रूप से करना सरकार के लिये एक कठनि कार्य है।
 - एक जनजातीय बच्चे को उसकी आयु अनुरूप उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा अन्य छात्रों के अध्यापन की कीमत पर होगा।
- अध्यापक और जनजातीय बच्चों को पढ़ाने का तरीका: आदविस्तियों के सामाजिकि-सांस्कृतिकि परविश को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम विकास और निरिदेशतमकि सामग्री के उपयोग के अधिकि प्रयास नहीं करि गए हैं।
 - राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2007-08 के आँकड़ों से पता चलता है कि आठवीं अनुसूची में शामलि बोडो, डोगरी और संथाली जैसी जनजातीय भाषाओं का उपयोग करमश: केवल 0.11 प्रतिशत, 0.02 प्रतिशत और 0.01 प्रतिशत आदविस्तियों द्वारा शैक्षणिकि रूप से करिया जाता है।
- आवासीय विद्यालय और जनजाति:
 - प्रभावी रूप से आदविस्तियों को गुणवत्तापूर्ण शक्षिष्ठि प्रदान करने के एक तरीके के रूप में सरकार वर्ष 1950 से लेकर वर्तमान नीति तिक प्रमुख स्थानों पर उनके लिये आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोल रही है। आश्रम स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालकि विद्यालय इस दृष्टिकोण से संचालति प्रमुख योजनाएँ हैं।
 - वे संस्थान भ्रष्टाचार, सुविधाओं के कुपरबंधन और आवासीय बालकियों के यौन शोषण के लिये प्रायः समाचारों में आते रहते हैं।
- जनजातियों के संबंध में शक्षिष्ठि और ज्ञान:
 - जनजातियों पर पाठ्यपुस्तक सामग्री और उननत ज्ञान की भारी कमी है।
- जनजातीय शक्षिष्ठि में समकालीन चिताएँ:
 - उच्च डरॉपआउट दर: विशेष रूप से माध्यमकि और वराषिट माध्यमकि चरणों में जनजातीय छात्रों के बीच विद्यालय छोड़ने की दर बहुत अधिकि है (स्कूल शक्षिष्ठि के आँकड़े, 2010-11 के अनुसार दसवीं कक्षा में 73 प्रतिशत, ग्यारहवीं कक्षा में 84 प्रतिशत और बारहवीं कक्षा में 86 प्रतिशत)।
 - RTE अधिनियम के पहले और उपरान्त कार्यान्वयि 'नो-डिंशन पॉलसी' जनजातीय समुदाय के छात्रों को पढ़ने, लिखने और अंकगणनि में बुनियादी कौशल हासलि करने का अवसर नहीं देता। पृष्ठभूमि शक्षिष्ठि की यह अनुपस्थिति भी डरॉपआउट का एक कारण है।

'गुणवत्तायुक्त' शक्षिष्ठियों की कमी: RTE अधिनियम के तहत निरिधारति पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले शक्षिष्ठियों की कमी भी जनजातीय क्षेत्रों में शक्षिष्ठि के अधिकार की पूरति में एक बाधा है। प्रशक्षिष्ठि शक्षिष्ठियों की कमी के कारण जनजातीय छात्रों की उपलब्धिका स्तर कम रहता है।

जनजातीय छात्रों के लिये भाषायी बाधाएँ: भारत में अधिकांश जनजातीय समुदायों की अपनी मातृभाषा है, लेकनि अधिकांश राज्यों में, कक्षा शक्षिष्ठि के लिये आधिकारकि/क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करिया जाता है, जिन्हें प्राथमकि स्तर पर जनजातीय बच्चे नहीं समझ पाते।

घुमंतु जनजातियों की शक्षिष्ठि: घुमंतु जनजातियों मौसम, व्यवसायों और आजीविका के अवसरों के आधार पर लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करती रहती हैं। इस कारण इस समुदाय के बच्चे प्राथमकि स्तर की स्कूली शक्षिष्ठि से वंचित रह जाते हैं।

अनुशंसाएँ

- जनजातीय क्षेत्रों सहति कहीं भी शक्षिष्ठि का उद्देश्य बच्चों को अपने प्रविश और समाज की समझ प्रदान करना होना चाहयि और उनमें योग्यता का विकास करिया जाए, ताकि वे अपने स्थानीय समाज में अथवा जिनके पास इच्छा व कषमता हो, राष्ट्रीय रोजगार बाजार में आजीविका अर्जति कर सकें।
- लड़कियों की शक्षिष्ठि को प्रोत्साहिति करने के लिये अधिकि से अधिकि लैंगिकि ध्यान और सामाजिकि गतशीलता की आवश्यकता है। शक्षिष्ठियों की कमी: जनजातीय क्षेत्रों में शक्षिष्ठियों की अनुपस्थिति के वर्तमान संकट को दूर करने के लिये विशेष प्रयास करिया जाने की आवश्यकता है, ताकि परीक्षा उत्तीरण अधिकारकि योग्य शक्षिष्ठि उपलब्ध हों।
- नो-डिंशन अथवा बच्चों के अगली कक्षा में प्रवेश पर अवरोध न रखने की नीति की समीक्षा की आवश्यकता है। जब छात्र, शक्षिष्ठि या छात्र के माता-पति अगली कक्षा में जाने के लिये उपयुक्त कौशल सक्षमता के लिये ऐसे अवरोधन का अनुरोध करते हों तो उसे अवरुद्ध करिया जाना उपयुक्त होगा।
- उच्च शक्षिष्ठि में आदविस्तियों के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को दूर करने के लिये, विशेष कोचिंग के माध्यम से प्राथमकि और माध्यमकि स्कूली शक्षिष्ठि को पुनर्जीविति करना आवश्यक है।

- एक नए सांस्कृतिक वातावरण के समायोजन की कठनिआइयों को ध्यान में रखते हुए, जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों के शक्तिकारों को स्थानीय स्तर पर भर्ती किया जाना चाहयि।
- राज्य सरकारों को बहुभाषी शक्तिका के लिये एक नीतिविकासिति करनी चाहयि, ताकि स्थानीय भाषा में प्रारंभिक शक्तिका हो सके।
- पाठ्यक्रम में स्थानीय संस्कृत, लोककथाओं और इतिहास को शामिल करने से जनजातीय बच्चों के आत्मविश्वास का नरिमाण करने और उनके जीवन में शक्तिका की प्रारंभिकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
- सरकार को बाहरी कक्षा तक के लिये वास स्थान के निकट स्थिति (दस कलोमीटर के दायरे में) जवाहर नवोदय विद्यालयों, जैसे-सुसंचालित आवासीय विद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आवासीय विद्यालयों में, जो प्रायः छातरों के यौन शोषण की घटनाओं के लिये समाचार में आते हैं, छातरों को दुरव्यवहार, उपेक्षा, शोषण और हस्ति से बचाने के लिये मज़बूत तंत्र का नरिमाण किया जाना चाहयि।
- आश्रम स्कूल, एकलव्य मॉडल स्कूल और कस्तूरबा गांधी बालका विद्यालय जैसी योजनाओं को बढ़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाना चाहयि।
- पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिकी हस्तक्षेपों में समुदाय के समावेश को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता है। लाभार्थियों के विभिन्न योजनाओं और लाभों के बारे में जानकारी ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को प्रदान की जानी चाहयि, जो पारदर्शिता लाएगी और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी।
- छात्रवृत्ति के उद्देश्य से शक्तिका के दायरे का वसितार किया जाना चाहयि और इसमें जनजातीय चत्तिरकला, कला, शलिप, गीत, संगीत और नृत्य आदि शामिल होने चाहयि।
- यह अनुशंसा की जाती है कि पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य में UGC द्वारा विश्वविद्यालयों में एक जनजातीय पद (Tribal Chair) की स्थापना की जाए।

5. स्वास्थ्य

- लगि अनुपात: देश में सामान्य जनसंख्या के लिये 938 की तुलना में 990 महलिएँ प्रति 1000 पुरुष के साथ जनजातीय जनसंख्या के अनुकूल लगिनुपात को दर्शाता है (भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार)।
- प्रजनन दर: एनएफएचएस 3 (2005-06) के अनुसार, अनुसूचित जनजातिकी आबादी के अंदर अनुमानित कुल प्रजनन दर (TFR) शेष आबादी के लिये 2.4 की तुलना में लगभग 3.1 थी।
- रोग प्रारूप: भारतीय चकितिसा अनुसंधान परिषद (ICMR) अपने विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों और केंद्रों के माध्यम से विभिन्न राज्यों में कुछ जनजातियों के बीच कुछ रोगों पर आँकड़े एकत्र करता है।
 - कुपोषण- जन्म के समय कम वजन, बच्चों का अल्प पोषण, वयस्कों के शरीर का नमिन आकार, एनीमिया, आयरन और विटामिन ए व बी की कमी।
 - मातृ और बाल स्वास्थ्य समस्याएँ- उच्च शिशु मृत्यु दर (IMR), पाँच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR), नवजात मृत्यु दर (NMR), तीव्र श्वसन संक्रमण और दस्त।
 - संचारी रोग- मलेरिया, फाइलरिया, तपेदकि, कुष्ठ, त्वचा संक्रमण, यौन संचारति रोग, एचआईवी, टाइफाइड, हैंजा, दस्त-संबंधी रोग, हेपेटाइटिसि, और वायरल बुखार।
 - मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ- विशिष्कर उपद्रव प्रभावित क्षेत्रों में।

अनुशंसाएँ

- समतिने कार्यकरमों को बेहतर बनाने के लिये तीन प्रकार के मौजूदा संस्थागत तंत्र का उपयोग करने का सुझाव दिया है।
 - जनजातीय स्वास्थ्य सभा: ग्राम स्तर पर ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय स्वास्थ्य सभाओं का प्रतिविष्ट आयोजन किया जाना चाहयि, जिसमें लोग (ग्राम स्तर पर) या उनके प्रतिनिधि (उच्च स्तर पर) भाग लें।
 - जनजातीय स्वास्थ्य परिषद: इनका गठन कार्यकरमों की योजना और निगरानी के उद्देश्य से निर्वाचित प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों को शामिल करके किया जाना चाहयि।
- ऐसी परिषदों का गठन ब्लॉक या ITDP स्तर, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहयि।

राज्य स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद: इन परिषदों के पास जनजातीय स्वास्थ्य परिषदों द्वारा तैयार की गई स्वास्थ्य योजनाओं को मंजूरी देने और कार्य निषिद्धन की समीक्षा करने की शक्ति हो।

- भारत में विद्यमान लगभग 700 जनजातियों के बीच भारी विविधिता को देखते हुए दूसरा प्रमुख सदिधांत यह हो कि क्षेत्र-विशिष्ट और जनजाति के प्रति संवेदनशील स्थानीय योजना नरिमाण हो। ऐसा अधिनियम इसके लिये एक संस्थागत आधार प्रदान करता है।
- सदियों के वैज्ञानिक ज्ञान के अंतर को पाठने के लिये, अनुसूचित क्षेत्रों की स्वास्थ्य देखभाल के लिये 'स्वास्थ्य साक्षरता' के प्रसार को सर्वोपरि महत्व देना चाहयि, जहाँ व्यापक शैक्षिकी विधियों, लोक मीडिया, आधुनिकी मीडिया और स्कूल पाठ्यक्रम के माध्यम से इनका व्यापक प्रसार हो।
- आंगनवाड़ियों को प्राथमिक स्वास्थ्य ज्ञान केंद्र में बदला जा सकता है।
- पारंपरिक ओझाओं व वैद्यों को दूर हटाने या अस्वीकार करने के बजाय उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सेवा में शामिल करने अथवा उनका सहयोग लेने के एक संवेदनशील तरीके की तलाश करनी चाहयि।
- अनुसूचित क्षेत्रों में बाह्य क्षेत्रों के चकितिसकों, नरसों और अन्य तकनीकी करमियों को तैनात करने में होने वाली ज्ञात कठनिआइयों ने मानव संसाधनों की समस्या पैदा की है। इन अभ्यरथियों को स्थानीय होना चाहयि, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होना चाहयि, स्थानीय जनजातीय बोलियों में प्रवीन होना चाहयि, योग्यता के आधार पर इनका चयन हो और कम से कम दस वर्षों के लिये स्थानीय अनुसूचित क्षेत्र में सेवा करने के लिये वे प्रतिबिद्ध हों।

■ जनजातीय स्वास्थ्य योजना के प्रस्तावति लक्ष्य:

- वर्ष 2020 तक भारत में अनुसूचित जनजातिआबादी के लिये स्वास्थ्य और पोषण विषय में सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (2015) को प्राप्त करना।
- वर्ष 2025 तक अनुसूचित जनजातिआबादी के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण की स्थितिको संबंधित राज्यों की गैर-अनुसूचित जनजाति के समकक्ष स्तर पर लाना।
- वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज (2011) पर उच्च सतरीय वशिष्टज्ञ समूह द्वारा निधारति मानदंडों के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिये आवश्यक मानव संसाधनों का सृजन करना।
- वर्ष 2017 तक सभी स्तरों पर वार्षिक जनजातीय स्वास्थ्य योजनाएँ तैयार करना।
- अनुसूचित जनजातिकी आबादी के अनुपात में कुल स्वास्थ्य क्षेत्र योजना और गैर-योजना बजट का 8.6 प्रतिशत वार्षिक आवंटन और व्यय करना, साथ ही जनजातीय स्वास्थ्य योजना के कार्यान्वयन के लिये टीएसपी के 10 प्रतिशत का आवंटन व व्यय।

6. भूमिहस्तांतरण, वसिथापन और बाध्य प्रवासन

- भारत के जनजातीय समुदाय पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जो खनिज और वन आवरण से समृद्ध हैं। भूमितिनकी सामाजिक-सांस्कृतिक व धार्मिक पहचान, आजीविका और उनके अस्तित्व का आधार है।
- परंपरागत रूप से, भूमिका स्वामित्व समुदायकि रहा है और आरथिक गतिविधियाँ झूम खेती सहित मुख्यतः कृषकीय रही हैं, जिसने समतावादी मूलयों को बढ़ावा दिया और इसने उनके शक्तिसंबंधों और संगठनात्मक प्रणाली को प्रभावित किया।
- यही वह परिप्रेरक्ष्य है जिसके अंतर्गत जंगल तक पहुँच में कमी और अपनी भूमिसे अनेक्षिकि वसिथापन के कारण जनजातीय लोगों के जीवन में आने वाली तबाही को समझना आवश्यक है।
- रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे के निरिमाण हेतु वन भूमिके अधिग्रहण के लिये लाए गए भारतीय वन अधनियम, 1865 (1878, 1927 में संशोधन) ने राज्य को व्यावसायिकरण के उद्देश्य से वन भूमिपर एकाधिकारवादी नियंत्रण का अवसर दिया।
 - स्वतंत्रता के बाद भी, इस अधनियम के प्रावधान के अंतर्गत राज्य द्वारा सर्वोपरनिए अधिकारों के माध्यम से इस क्षेत्र के मूल निवासियों की कृषिको अवैध घोषित किया गया।

जनजातीय भूमिहस्तांतरण के तरीके:

- संवधान की पाँचवीं अनुसूची भूमिकी सुरक्षा और अनुसूचित जनजातियों के कलयाण व उननातिके लिये प्रावधान करती है।
- संवधान की छठी अनुसूची: स्वायत्त ज़िलों और स्वायत्त क्षेत्रों को भूमिके संबंध में, कस्ती भी वन (जो आरक्षित वन नहीं हों) के प्रबंधन के संबंध में, संपत्तिके उत्तराधिकार के संबंध में अधनियम बनाने की शक्तिप्राप्त है।
- आरक्षित वनों और संरक्षित वनों को वैधानिक अधिकार चक्रबंदी के दायरे से बाहर लाकर जनजातीय लोगों के वन अधिकारों को समाप्त कर दिया गया।
- वन्य जीव संरक्षण अधनियम, 1972, वन संरक्षण अधनियम, 1980, वृक्ष नविरण अधनियम और वन नीति, 1988 ने भी जनजातीय लोगों को प्रभावित किया।
- भूमिअधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरस्थापन अधनियम, 2013 में सननहिति उचिति मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार ने समग्र पुनर्वास को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया और परियोजना से प्रभावित लोगों को इसके दायरे में लाया किति, इस नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले तक सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के दुरुपयोग से प्रयाप्त नुकसान किया जा चुका है।

अनुशंसाएँ

- वसिथापन में कमी लाने के लिये राज्य द्वारा गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। समग्र पुनर्वास के लिये एक अधिकार-आधारित दृष्टिकोण होना चाहिये।
- भूमिअधिग्रहण, पुनर्वास और पुनरस्थापन अधनियम, 2013 में सननहिति उचिति मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अपने अभिप्राय में प्रगतशील है। हालाँकिने कानून में 'सार्वजनिक उद्देश्य' की परभाषा बहुत व्यापक है और इससे अनुसूचित क्षेत्रों में और अधिक अधिग्रहण और वसिथापन को अवसर मलिगा।
- भूमिअधिग्रहण के लिये सार्वजनिक-नजीबी भागीदारी प्रारूप भूमिके हस्तांतरण का एक अप्रत्यक्ष तरीका है।
- केंद्र व राज्य के सार्वजनिक उपकरणों और केंद्र/राज्य सरकारों के पास बहुत सी अप्रयुक्त जनजातीय भूमिबेकार पड़ी है और जिस उद्देश्य से इनका अधिग्रहण किया गया था, वहाँ इनका उपयोग नहीं हुआ।
- सरकारों के ऊपर यह कानूनी बाध्यता होनी चाहिये किवै ऐसी भूमियों को मूल भूस्वामी या उनके उत्तराधिकारियों को वापस करे अथवा इन भूमियों का उपयोग वसिथापति जनजातियों, आदिवासियों के पुनर्वास के लिये करें।
- जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक और खनन परियोजनाओं से प्रदूषित हुई भूमिओं और जल स्रोतों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और सुधारात्मक उपाय अपनाने का दायतिव है।
- छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर में संघर्ष/उग्रवाद से वसिथापति हुए जनजातीय लोगों को राज्य सरकार द्वारा उनके गांवों में पुनर्वासिति किया जाना चाहिये और उन्हें आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य व शक्तिका आपूर्ति, सचिई की सुवधि और कृषिकी सुवधिएँ प्रदान की जानी चाहिये।
- पेसा अधनियम, 1996 के अनुसरण में सभी पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के भूमिहस्तांतरण विनियमों/करियेदारी कानूनों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिये, ताकि जनजातीय लोगों के लिये भूमिकी पहचान, परीक्षण और पुनरस्थापन में ग्राम सभा की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

7. वधिकि और संवैधानिकि मुद्दे

वन अधिकार अधनियम, 2006

- भारतीय वन अधनियम, 1927 और इसके पूर्ववर्ती अधनियम 1878 में वन संसाधनों पर नियंत्रण राज्य में नहिति था। वन क्षेत्र में कुल भूमिके 23 प्रतशित में वसितृत है और गुजरते वर्षों में वन समुदायों को अतिक्रमणकारयों और वन क्षेत्रों में उनकी गतविधियों को 'वन अपराधों' के रूप में देखा गया।
- आदविसयों, वन नविसयों एवं अन्य आश्रित समुदायों के ऊपर से अवैधता का बोझ हटाने में वन अधिकार अधनियम (FRA) का लागू होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा।
- एफआरए यह निर्धारित करता है कि वन-नविसी अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पारंपरिक वन नविसी (OTFDs) को उनके अधिकारों की मान्यता और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उनके कब्जे की वन भूमिसे बेदखल नहीं किया जा सकता। वन अधिकार समिति (FRC) ने ज़मीनी स्तर पर पाया कि अधनियम के इस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है।

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर वसितार) अधनियम, 1996

- भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों पर नियन्य करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा ग्राम सभा से केवल नाममात्र का प्रामर्श लिया जाता है।
- जाली और चालाकीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत ग्राम सभा प्रस्तावों, भूमि अधिग्रहण से पहले सहमती की कमी और अन्य गंभीर मुद्दे अभी भी पेसा अधनियम के कार्यान्वयन में बाधा बने हुए हैं।

जनजातीय क्षेत्रों में आपराधिक कानून का अनुपालन

- भूमि अधिग्रहण, वसिथापन और पूर्व मुद्दों को नष्टिए बना ही नई परियोजनाओं की शुरुआत ने वभीन्न प्रकार के वरिध को जन्म दिया है। स्थानीय लोगों की शक्तियां रही हैं कि जिब उनके सामने प्रस्तुत परियोजना के प्रस्ताव के वरिध उन्होंने आवाज उठाई तो उनके वरिध आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए।

सलवा जुड़म

- सलवा जुड़म (जसि शांतभारच अथवा शुद्धकिरण शक्ति के रूप में अनुवादति किया जाता है) बस्तर क्षेत्र में कार्यान्वयति एक सरकारी पहल थी। इसका गठन वर्ष 2005 में किया गया था, ताकि क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थितिका मुकाबला किया जा सके। इसका मुख्य आधार SPO (वरिध पुलसि अधिकारी) थे, जो स्थानीय जनजातीय युवा थे (16 वर्ष के कशिरों तक को इसमें शामलि किया गया), उन्हें भरती किया गया, उन्हें भुगतान किया जाता था, उन्हें हथयार दिए गए और नक्सलियों से लड़ने का काम सौंपा गया। इसके परिणामस्वरूप एक नागरिक संघर्ष का जन्म हुआ जसिने पूरे ग्राम के वसिथापन, बलात्कारों, शक्तिके दुरुपयोग, हत्याओं और घरों को जलाने जैसे दृश्य उत्पन्न किए।

नयिमगरी का अनुभव

- नयिमगरी की पहाड़ियों में वरिध रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह 'डोंगरया खोड़' का नविस है। डोंगरया खोड़ ने क्षेत्र में वेदांता एलयुमनियम लमिटेड द्वारा बॉक्साइट के खनन का पुरजोर वरिध किया। 18 अप्रैल, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रस्तावति खनन से प्रभावति होने वाले अधिकारों पर ग्राम सभा का प्रामर्श व सहमतिआवश्यक है।
- इस प्रस्तावति खनन को क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं द्वारा स्पष्ट रूप से खारजि कर दिया गया।

प्रवासन और शोषणकारी श्रम के मामले

- 2001-11 के दौरान शहरी जनजातीय आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि उनके बाध्य प्रवासन ('पुश' माझगरेशन) का संकेतक है, जसिके परिणामस्वरूप बंधुआ मजदूरी के रूप में उनके शोषण की स्थिति बनी है।

अनुशंसाएँ

- छठी अनुसूची के प्रारूप का वसितार पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में स्वायत्त परिषिद्धों के रूप में करने की तत्काल आवश्यकता है, जैसा प्रावधान पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर वसितार) अधनियम, 1996 में किया गया है।
- हालाँकि PESA, 1996 और FRA, 2006 का अनुपालन अनियां से ही हुआ है। इनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया का समर्थन करने के लिये संस्थागत प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है, जसिमें ग्राम सभाओं को मजबूत करना भी शामलि है।
- वन, वन उत्पाद और महलियों के जीवन के बीच घनषिठ संबंध को देखते हुए, एफआरए अधनियम के प्रावधान अनुरूप ग्राम सभाओं में महलियों का प्रतिवित्ति स्थापति करना आवश्यक है।
- सरकारी अधिकारी, जो जनजातीय भूमि की हानि को रोकने की एजेंसी थे, वे परियोजना अधिकारियों की ओर से मध्यस्थ की भूमिका में उत्तरते जा रहे हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।
- ऐसे मामले सामने आए हैं, जहाँ ग्राम सभा की सहमतिफरजी तरीके से प्राप्त की गई या जाली सहमतिदिरज कर दी गई। इस तरह के आचरण के लिये दंड की व्यवस्था होनी चाहिये और ऐसी फरजी सहमतिके आधार पर आगे बढ़ी परियोजनाओं को जारी रखने की अनुमतिनहीं दी जा सकती।
- संविधान का अनुच्छेद 243-ZC पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में नए नगरपालिकों के नियमान का प्रावधान करता है। ऐसे कार्यान्वयन संसद द्वारा अधनियमित कानून के माध्यम से आगे बढ़ने चाहिये।
- राज्यों और कंपनियों के बीच हस्ताक्षरति समझौता ज़ापानों, जिनमें राज्य को प्रयावरणीय और वन सम्बन्धी मंजूरी देने का अधिकार है, की समीक्षा होनी चाहिये।

- सार्वजनिक नीति और अभ्यास को नयिमगरि के अनुभव और सलवा जुड़म के प्रत्यक्षील सबक के आधार पर तैयार किया जाना चाहयि।
- राज्य के एक उपकरण के रूप में आपराधिक कानून का उपयोग अस्समटिकों दबाने के लिये किया जा रहा है। आदविसियों और उनके प्रतिशिख के समरथकों के विद्युत दरज मामलों की जाँच के लिये नयायक आयोग की नियुक्तिकरने की आवश्यकता है। केवल ऐसा करके ही उन चतिओं को संबोधित किया जा सकता है, जो राज्य द्वारा आपराधिक कानून के दुष्प्रयोग के बारे में बढ़ती हैं।
- विनियुक्त जनजातियों माँग करती रही हैं कि उनके जीवन से कलंक और पूर्खाएँ दूर करने के लिये कदम उठाए जाएँ। वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधनियम को वर्ष 1952 में नियुक्त तो कर दिया गया, लेकिन इसके स्थान पर आदतन अपराधी अधनियम (हैबिट्ड ऑफ़ डर्स एक्ट) लागू कर दिया गया। इस अधनियम के अंतर्गत जनजातियों को कलंकति किया जाना जारी है। आदतन अपराधी अधनियम को नियुक्त किया जाना चाहयि और विनियुक्त व खानाबदोश जनजातियों का पुनर्वास करना चाहयि।
- भक्षिषु वरिधी कानून करतब और कलाबाजी जैसी उनकी प्रतिभियों को एक दंडनीय आचरण में बदल देता है। महलियों का पूरा समुदाय वकिलपहीनता की स्थितिमें वेश्यावृत्तिकी ओर धकेला जाता है। ऐसे कानूनों को नियुक्त किया जाना चाहयि।
- बंधुआ मज़दूरी और जनजातीय क्षेत्रों की महलियों की बड़े पैमाने पर मानव तस्करी पर रोक के लिये ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

8. सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं का वितरण

भारत में योजना प्रकरणों ने अपनी स्थापना के समय से ही अनुसूचित जनजातियों सहित विचारित समुदायों को शामिल करने पर जोर दिया है। प्रारंभ में इसने अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये प्रयाप्त संसाधनों को नियोजित करने के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के लिये संस्थानों और तंत्रों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया।

- हालाँकि, ये पूरी तरह से जनजातीय लोगों के हतियों की सेवा नहीं कर सके।
- पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) के दौरान, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) की रणनीतिको अपनाया गया।
- योजना आयोग द्वारा जारी दशिन-नियमित के अनुसार, जनजातीय उप-योजना नियमित और गैर-अंतरित और गैर-व्ययपगत (Non-divertible and non-lapsable) होना था लेकिन टीएसपी के लिये नियंत्रित अधिकारियों द्वारा अन्य क्षेत्रों और उद्देश्यों की ओर मोड़ दिया गया और उनमें से कुछ अनुचित उपयोग या प्रशासनिक मशीनरी की वफिलता के कारण व्ययपगत भी हो गए।
- उप-योजना दृष्टिकोण के अनुसार, केंद्र सरकार के लिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसके कुल योजना बजट में से कम से कम 8.6 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये रखा गया हो।
- लेकिन अनुसूचित जनजातियों की आवादी के अनुपात में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिये बजट आवंटन में गरिवट गंभीर चिता का कारण है।
- ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने वाली अनुसूचित जनजाति अपनी पहचान, सामुदायिक एकजुटता, भूमि और राशन कार्ड जैसे अधिकारों और सामान्य संसाधनों से विचारित रह जाती है।

अनुशंसाएँ

- उत्तर-पूर्वी भारत सहित विभिन्न राज्यों में जनजातियों की फैली हुई आबादी और वसिथापति (बुनियादी ढाँचा परयोजनाओं, उपद्रवों आदि के कारण) आबादी मौजूद है, जिनके कार्यकरमों के कार्यान्वयन के लिये कोई समरपति एजेंसी मौजूद नहीं है। विशिष्ट जनजातीय समूहों की आवश्यकताओं की पूरताके लिये छोटे-छोटे खंडों में नई सूक्ष्म एजेंसियों के गठन की आवश्यकता है।
- मनरेगा और एफआरए के कार्यान्वयन के लिये सहायक कर्मचारियों के अभाव के परणिमस्वरूप इन कार्यों की देखरेख के लिये उपलब्ध नियमों का कम उपयोग हुआ है।
- कई जनजातियां शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रही हैं और वे मज़दूरी से नियोजित कर रहे हैं। यह आवश्यक होगा कि राज्य उल्लेखनीय अनुसूचित जनजातियों का अनुसंधान संस्थान (TRI) वित्तीय और मानव संसाधन की कमी का सामना कर रहे हैं और उनके लिये अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करना कठिन हो रहा है। इन संस्थानों द्वारा अनुसंधान और प्रशासनिक गतिविधियों को सशक्त और व्यापक बनाने की तत्काल आवश्यकता है।
- मानव विजितान सर्वेक्षण (AnSI) संस्कृतमित्रालय के अंतर्गत कार्यरत कई संगठनों में से एक है। एनएसआई का प्राथमिक कार्य जनजातियों का अध्ययन करना है। यदि इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत लाया जाए तो यह एक मज़बूत संगठन बन सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों को अनुदान देने के लिये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिये उपलब्ध नियम में प्रयाप्त वृद्धिकी आवश्यकता है, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में संस्थानों को सशक्त करने और प्रशासन के उन्नयन के लिये मंत्रालय राज्यों को व्यापक सहयोग प्रदान कर सके।
- संक्षेप में जनजातीय समुदाय के मूलयों और संस्कृतिकी उपेक्षा हो रही है, मौजूद सुरक्षात्मक विधियों का उल्लंघन हो रहा है, वे गंभीर भौतिक अभाव व सामाजिक विचारित तथा आकरामक संसाधन अलगाव का सामना कर रहे हैं। इसलिये, इन मुद्दों का समाधान जनजातियों के हतियों की रक्षा के लिये आवश्यक है।
- एक सशक्त नागरिकी और एक कार्यशील, भागीदारीपूर्ण (महलियों की भागीदारी सहित) स्वशासन एक लोकतांत्रिक राष्ट्रकोष के लिये सर्वोत्कृष्ट गारंटी है।
- जनजातीय लोगों और उनके प्रयावास के लिये सामाजिक-आर्थिक प्रगति में उपयुक्त हसिसेदारी, जिसमें स्वास्थ्य, शक्षिता, आजीवकिता, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, बजिली और स्थायी आय जैसी सुविधाओं की स्व-स्थाने (इन-स्ट्रिट) उपलब्धता हो।
- जनजातीय समुदायों की भूमि और वन अधिकारों की रक्षा उनकी आजीवकिता, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के समान है।
- जनजातीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। उन्हें केवल गाँवों की ग्राम सभाओं की सहमति से प्राप्त किया जाना चाहयि।
- हालाँकि, जनजातीय क्षेत्र राष्ट्रकोष की अधिकारियों प्राकृतिक और खननियों संपदा का संग्रह रखते हैं, लेकिन इन संसाधनों को उनकी इच्छा के विद्युत हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जो समुदाय अपनी भूमिका हस्तांतरण करते हैं, उन्हें इसके संसाधनों से उत्पन्न धन और आय

- में हस्तसेवारी का अधिकार है। अतः उनके गृह क्षेत्र में संसाधनों से सृजति धन में उन्हें एक उचित हस्तान प्रदान करना कानून द्वारा तय किया जाना चाहयि।
- भाषा, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और अस्मति की हानि से स्वयं की रक्षा के उनके अधिकार को चहिनति, संरक्षति, दर्ज करने और उन्हें एक गतशील जीवति संस्कृति के रूप विभास करने का अवसर देने की आवश्यकता है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/xaxa-committee-on-tribal-communities-of-india>